इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनॉक 01.04.2017 को विगत दिवसों में किये गये कार्यालय की स्वच्छता एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में निरीक्षण के पश्चात् दिये गये आदेश के अनुपालन में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में इन्दिरा भवन कैम्पस में भवन के सेटबैक में स्थित श्रीमती निकहत जरीन पत्नी श्री अतहर रजा द्वारा निरस्तीकरण के बावजूद अवैध रूप से संचालित मोबाइल शाप, व इन्दिरा भवन परिसर में ही सरदार पटेल मार्ग पर संचालित पराग डेरी की दुकान जिसका अतिक्रमण व अन्य व्यवसाय करनें के कारण आवण्टन निरस्त था तथा कैम्पस के अन्दर सेटबैक मे अतिक्रमित करते हुए रेलिंग अस्थायी शेड को ध्वस्त कराया गया। उक्त के अतिरिक्त एम0जी0मार्ग सिविल लाइन्स में सौन्दर्यीकरण की पार्किग में लगायी गयी चाय, पान आदि की लगभग 10 दुकानें, शिव महिमा काम्प्लेक्स के वाहर चाऊमीन की दुकान, पूर्व विधायक श्री सईद अहमद द्वारा बनवायी जा रही अस्थायी टीनशेड गुमटी को हटवाया गया। एम0जी0मार्ग कमला नेहरू रोड चौराहे पर हलवायी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया गया। एम0जी0मार्ग के उत्तर रोड पर किये गये अस्थीय गुमटिंया चाय की दुकान तथा अन्य अतिक्रमण, सुभाष चौराहे से काफी हाउस तक रोड के बायी तरफ विकसित पार्किग में किये गये लगभग समस्त अतिक्रमणों को हटवाया गया।

एम0जी0मार्ग पर बी0पी0कैमिस्ट के सामनें व एल्चिकों रेस्टोरेण्ट के पश्चिम स्थित मो0 आरिफ पुत्र हकीमुददीन द्वारा अवैध निर्मित कास्मेटिक की दुकान एवं बीनू सक्सेना की पैथलाजी के सामनें मुख्य एम0जी0मार्ग पर गेट के बगल श्री एजाज हुसैन द्वारा गुमटी में चलायी जा रही बैग आदि की सिलाई की दुकान को ध्वस्त कराते हुए अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया।

उक्त कार्यवाही में सचिव/अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, श्री सत् शुक्ला, उपसचिव श्री पी0एन0यादव के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री अशोक सिंह, श्री आर0पी0पाण्डेय, श्री जयशंकर सिंह, श्री महेश चन्द्र, भवन निरीक्षक श्री शशि प्रकाश सिंह श्री आर0एन0आजाद, श्री योगेन्द्र राय, श्री राम सूरत सिंह, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कुॅवर सिंह थाना सिविल लाइन्स का पुलिस बल, ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(ए0के0 पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी/जोनल अधिकारी

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

विशेष कार्याधिकारी/जोनल अधिकारी